## बिहार सरकार वित्त विभाग

## अधिसुचना

संख्या-वि0(27)पे0को0-22/2024 /वि0, पटना, दिनांक-

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 में संशोधन करने हेत् निम्नलिखित नियमावली बनाते 音:-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ-(1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
  - (3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।
- 2. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11 के उपनियम(1) के खंड (ख) के पश्चात नया खंड-(ग) निम्नवत जोड़ा जाएगा :-

''किसी वित्तीय वर्ष में अंशदाता के लिए सामान्य भविष्य निधि अंशदान के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा को प्राप्त कर लेने अथवा उस सीमा तक पहुँचने की संभावना की स्थिति में मूल वेतन का न्यूनतम छः प्रतिशत मासिक अंशदान संबंधी प्रावधान को क्षांत किया जा सकेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

80/-(दीपक आनन्द) सचिव(व्यय)।

ज्ञापांक-वि0(27) पे0को0-22/2024

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार,बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

百0/-

सचिव(व्यय)।

ज्ञापांक-वि0(27) पे0को0-22/2024

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

> ₹0/-सचिव(व्यय)।

ज्ञापांक-वि0(27) पे0को०-22/2024 - 632 (पे) पटना, दिनांक- 26/6/2024 प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट वित्त विभाग/सिस्ट्रम एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग इस आदेश की 500 प्रतियाँ वित्त विभाग, पेंशन शाखा को उपलब्ध करायेगें, 1/

सचिव(व्यय) ।

28.674

## Govt. of Bihar **Finance Department**

## Notification

No-F(27) Pen. Cell- 22/2024	/F, Patna,Dated
In exercise of the powers conferred under the Proviso of Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar General provident fund Rules, 1948:-	
caned the Binar General provi	d commencement (i)These Rules may be dent fund (Amendment) Rules, 2024. whole of the State of Bihar. orce at once.
2. The following clause rule(1) of rule 11of Bihar Gen	e(c) shall be added after clause (b) of sub eral provident fund Rules, 1948 :-
has already reached the	year where GPF subscription for subscriber threshold limit or likely to reach that limit; monthly subscription of six percent of the laxed."
	By Order of the Governor of Bihar,
	S/d
	(Decpak Anand)
Memo NoF(27)Pen.Cel  Copy forwarded  the Departments/ Divisi	Secretary(Expenditure) 1-22/2024 /F, Patna, dated to All Government Departments/Heads of
Treasury Officers for info	onal Commissioners/ District Magistrates/ ormation and necessary action.
	and necessary action.
	S/d
Memo NoF(27)Pen. Cel	Secretary(Expenditure) 1- 22/2024 /F. Patna dated
Patna/Secretary, Bihar	d to Accountant General, Bihar, legislative Council/Secretary, Bihar egistrar General, Patna High Court for
	S/d
	5/4

Secretary(Expenditure)

Memo No.-F(27)Pen.Cell-22/2024 632(Rep)F, Patna, dated 26.6.2024 Copy forwarded to the Officer-in-charge, e-gazette, Finance Department/ System Analyst, Finance Department/ Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna for information & necessary action.

2. Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh shall arrange to provide 500 copies of this order to Finance Department, Pension

Cell.

Secretary (Expenditure)

38.6.24